

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 623 / विधि संशोधन / 2018-19

लखनऊ, दिनांक 18 जून, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2018 के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-148(1)/11-6-2018-एम(33)/17 दिनांक 06.06.2018 के माध्यम से उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2018, जो अधिसूचना संख्या-139/11-6-2018-एम(33)/2017 दिनांक 23.02.2018 द्वारा प्रख्यापित हुई है, की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त अधिसूचना संख्या 139/11-6-2018-एम(33)/2017 दिनांक 23.02.2018 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,




(आर० रस्तोगी)
सहायक आयुक्त,
कृते आयुक्त।

संख्या: 623 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- संख्याधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित अधिसूचना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 4- गार्ड फाइल।



(आर० रस्तोगी)
सहायक आयुक्त,
कृते आयुक्त।

उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन विभाग

अनुभाग-6

23 फरवरी, 2018 ई0

अधिसूचना

सं0 139/11-6-2018-एम (33)/2017-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो के द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2018

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन-उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम-2 में नीचे (क) स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क), के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 अभिप्रेत है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) से है।

(ख) खण्ड (क-3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्-

(क-4) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है।

(ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ख) "अनुज्ञप्ति" का अर्थ है वीडियो या कंबिल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शन करने या संचालन करने या वीडियो लाइब्रेरी या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेसी रखने के लिये इन नियमों के साथ उपाबद्ध यथास्थिति फार्म-ii या फार्म-iii या फार्म-iii-क या फार्म-iv में अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा प्रदत्त लिखित प्राधिकार ;

(घ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ठ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ठ) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य वही होगा जो उसे उत्तर प्रदेश मनोरंजन और दौंव कर अधिनियम, 1979 समनुदिदष्ट किया गया है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख) "लाइसेंस" का तात्पर्य वीडियो या कंबिल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शन करने या वीडियो लाइब्रेरी का संचालन या उसे रखने के लिये इस नियमावली से संलग्न यथास्थिति प्रपत्र दो या प्रपत्र तीन या प्रपत्र तीन-क या प्रपत्र चार में स्वीकृत लिखित प्राधिकार से है ;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ठ) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अर्थान्तर्गत नगर अथवा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अर्थान्तर्गत नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र अथवा उत्तर प्रदेश टॉउन एरिया अधिनियम, 1914 के अर्थान्तर्गत टॉउन एरिया अथवा छावनी अधिनियम, 1924 के अर्थान्तर्गत छावनी अथवा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अर्थान्तर्गत किसी ग्राम से है ;

3-नियम-4 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

4-स्थायी भवन की अपेक्षाएँ-(1) ऐसे भवन की स्थल सीमा पर आम रास्ते की ओर एक स्वतंत्र प्रवेश मार्ग होगा।

(2) भवन के किसी भी तरफ कम से कम 3 मीटर चौड़ा खुला स्थान होगा और उसके सामने की ओर कम से कम 6 मीटर चौड़ा खुला स्थान होगा। जिसे वाहन खड़ा करने के लिये प्रयोग किया जायेगा। यदि भवन आम रास्ते से दूर है, तो वहाँ पर जाने का मार्ग कम से कम 3 मीटर चौड़ा होगा।

(3) भवन-[i] अच्छी तरह से निर्मित होगा उसका ढांचा सुरक्षित करके और अज्वलनशील सामग्री द्वारा निर्मित किया जायेगा।

[ii] को पर्याप्ततः संवातित किया जायेगा।

[iii] भवन के दरवाजे के किसी एक ओर 1.6 मीटर चौड़ा बरामदा रहेगा।

[iv] 50 सीटों के लिये कम से कम एक मार्ग रहेगा और किसी स्थिति में दरवाजों की संख्या दो से कम नहीं होगी, जिसे बाहर जाने के लिए दरवाजे पर लगाया जायेगा और दरवाजे का आकार कम से कम 1.95 मीटर ऊंचा और 1.34 मीटर चौड़ा होगा।

[v] छत की सामान्य ऊंचाई या तल की पहली छत कम से कम 3.5 मीटर ऊंची होगी और उसमें 2.75 मीटर ऊंचाई पर विद्युत अर्ध-ऊन फिट किया जायेगा।

[vi] लैण्डिंग, दरवाजे, सीढ़ियों, लॉबी और कारिडोरों की चौड़ाई कम से कम 1.34 मीटर होगी।

(4) आडिटोरियम को भवन के प्रथम तल पर बनाये जाने की दशा में, भवन के किसी दो तरफ 1.6 मीटर चौड़े बरामदे होंगे उसमें कम से कम दो सीढ़ियाँ दो अलग-अलग ओर से भूतल पर जाने के लिये लगायी जायेगी जिनमें से एक आम रास्ते को जाती हो। सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम तीन फिट होगी और एक लगातार अधिक से अधिक 15 सीढ़ियाँ होंगी। उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित स्थान भूतल पर बनाया जायेगा। अन्य अपेक्षाएँ वही होंगी। जैसा कि पूर्ववर्ती उपनियमों में बताया गया है :

परन्तु आडिटोरियम को प्रथम तल पर बनाये जाने की दशा में भूतल पर कोई निर्माण करने के लिये यदि कोई हो, मालिक की सहमति ली जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-स्थायी भवनों की अपेक्षाएँ-वीडियो सिनेमा का स्थायी भवन, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों (यथा संशोधित) के और उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के उपबंधों के अनुसार होगा।

4-नियम-9 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम-9 में, नीचे स्तम्भ-1 में में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम
9 (7)-सभी विद्युत अधिष्ठान और तत्सम्बद्ध कार्य, अनुज्ञप्त/रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार द्वारा कराये जायेंगे, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
9 (7)-सभी विद्युत स्थापन और अन्य संबंधित कार्य, उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/लाइसेंस प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत संविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

5-नियम-10 का संशोधन-उक्त नियमावली, नियम-10 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम
10-वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-(1) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राधिकारी को फार्म-1 में किया जायेगा और उसके साथ यथास्थिति, उपनियम-(2), (3) या (4) में उल्लिखित दस्तावेज लगाये जायेंगे।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन, लाइसेंस प्राधिकारी को यथास्थिति, उपनियम-(2), (3) या (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) होटल से भिन्न किसी स्थायी भवन की दशा में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाये जायेंगे-

(1-a) आवेदक विभागीय वेब पोर्टल पर विहित प्रारूप प्रपत्र-1 में यथास्थिति उपनियम (2), (3) अथवा (4) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क संदाय के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(i) स्थल योजना दो प्रतियों में जिसमें 100 मीटर की परिधि के भीतर संलग्न परिसर और आम रास्ते के सम्बन्ध में परिसर की अवस्थिति जिसमें भवन की सीमा मिलती हो और साथ ही में वह स्थान जिस पर वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग बनायी जायेगी, पैमाना एक इंच बराबर 10 मीटर रखा जायेगा।

(2) होटल से भिन्न किसी स्थायी भवन के मामले में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे-

(एक) राज्य के भवन निर्माण और विकास उपविधियों और इस नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत-द्वारा अनुमोदित एक इंच = दस मीटर के पैमाने पर खींचा गया स्थल नक्शा, दो प्रतियों में होगा, जिसमें 100 मीटर के अर्ध व्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर के संबंध में परिसर की अवस्थिति और सार्वजनिक मार्ग, जिससे भवन सटा हो, जिसके अन्तर्गत गाड़ियों को खड़ा करने के लिये स्थान भी है, दिखाया जायेगा ;

(ii) भवन योजना दो प्रतियों में जिसमें भवन की लम्बाई, चौड़ाई और सीटिंग योजना भी शामिल है और गैंगवे और खाली स्थान सहित प्रत्येक श्रेणी में सीटिंग की व्यवस्था बतायी जायेगी, पैमाना एक इंच बराबर पांच मीटर रखा जायेगा।

(दो) राजकीय भवन निर्माण और विकास उपविधियों तथा इस नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित अनुमोदन-पत्र सहित एक इंच = पांच मीटर के पैमाने पर खींचा गया भवन नक्शा दो प्रतियों में, जिसके अन्तर्गत देशांतरीय और अक्षांशीय अनुभाग (सेक्शन) और बैठने के स्थान का नक्शा भी है, होगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी में सीटों का प्रबंध किया गया हो, जिसके अन्तर्गत गलियारा और खुला रखा गया स्थान भी है;

(तीन) ऐसे दस्तावेज जिनमें स्थान, भवन और साधित्र या यान का स्वामित्व या किरायेदारी दर्शायी गयी हो;

(चार) संबंधित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उपनिदेशक या सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से प्रदत्त प्रमाण-पत्र, जो विद्युत स्थापन संबंधी अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों तथा उप विधियों के अनुरूप हो;

स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(पांच) राज्य के उक्त नियम 7 और भवन तथा विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता हेतु व्यवस्था का विवरण;

(छः) संबंधित क्षेत्र के मुख्य अग्नि अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी (अग्नि शमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जिसकी अधिकारिता हो, का प्रमाण-पत्र कि अग्नि शमन उपकरणों हेतु व्यवस्थायें उपबंधित हैं और विद्यमान नियमों और उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप अग्नि के विरुद्ध सावधानियां की गई हैं।

6-नियम-12 का संशोधन-उक्त नियमावली, नियम-12 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम

12-लाइसेंस का प्रदान किया जाना-(1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नियम-10 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और यह समाधान हो जाने पर कि सभी अपेक्षायें पूरी कर दी गयी हैं, आवेदक को यथास्थिति फार्म-ii या फार्म-iii या फार्म-iii-क में जो इन नियमों के साथ उपबद्ध हैं, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) लाइसेंस प्राधिकारी नियम-10 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि सभी अपेक्षायें पूर्ण कर दी गयी हैं, आवेदक को आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यथास्थिति प्रपत्र-दो या प्रपत्र-तीन या प्रपत्र-तीन-क में लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

(1-क) (i) सभी दृष्टियों से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी, आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् 30 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से लाइसेंस प्रदान करेगा या लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकार करेगा, उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत समझा जायेगा।

(ii) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क संदाय सहित अपना आवेदन-पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो लाइसेंस उसे 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल पर प्रदान किया जायेगा और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक उक्त लाइसेंस विभागीय वेब पोर्टल से डाउन लोड भी कर सकता है।

परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य माना जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7-नियम-15 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम-15 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
15-(1) सचल वीडियो सिनेमा की दशा को छोड़कर वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार में अधिकतम तीन वर्षों के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकता है या उसे नवीकृत किया जा सकता है।	15-(1) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा चल वीडियो चलचित्र के सिवाय, वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये लाइसेंस एक बार में पांच वर्ष में अनधिक अवधि के लिये स्वीकृत या नवीकृत किया जा सकता है।

8-नियम-17 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम																																										
17-(1) शुल्क-अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या उसके नवीकरण हेतु फीस निम्नानुसार होगी-	17-(1) शुल्क-लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये शुल्क निम्नलिखित होगा-																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र० सं०</th> <th style="width: 40%;">सीटों की संख्या</th> <th style="width: 50%;">शुल्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i)</td> <td>केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सहित वीडियो सिनेमा</td> <td>प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर 2,400.00 रुपये।</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>होटल</td> <td>प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर 1,200.00 रुपये।</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>सार्वजनिक वाहन</td> <td>प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 1,200.00 रुपये।</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>स्थानीय क्षेत्र में सचल वीडियो सिनेमा-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(क) नये लाइसेंस को प्रदान करने हेतु या उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ से एक वर्ष के लिये इसके नवीकरण हेतु।</td> <td>प्रतिमास या उसके भाग के लिये 100.00 रुपये।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने या वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ होने एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसे जारी रखने हेतु।</td> <td>प्रतिमाह या उसके भाग के लिये 200.00 रुपये।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	सीटों की संख्या	शुल्क	(i)	केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सहित वीडियो सिनेमा	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर 2,400.00 रुपये।	(ii)	होटल	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर 1,200.00 रुपये।	(iii)	सार्वजनिक वाहन	प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 1,200.00 रुपये।	(iv)	स्थानीय क्षेत्र में सचल वीडियो सिनेमा-	-		(क) नये लाइसेंस को प्रदान करने हेतु या उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ से एक वर्ष के लिये इसके नवीकरण हेतु।	प्रतिमास या उसके भाग के लिये 100.00 रुपये।		(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने या वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ होने एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसे जारी रखने हेतु।	प्रतिमाह या उसके भाग के लिये 200.00 रुपये।	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्र० सं०</th> <th style="width: 40%;">सीटों की संख्या</th> <th style="width: 50%;">शुल्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(एक)</td> <td>वीडियो चलचित्र जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।</td> <td>प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 5,000.00 रुपये</td> </tr> <tr> <td>(दो)</td> <td>होटल</td> <td>प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 2,500.00 रुपये।</td> </tr> <tr> <td>(तीन)</td> <td>सार्वजनिक सेवा यान</td> <td>प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 2,500 रुपये।</td> </tr> <tr> <td>(चार)</td> <td>किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।</td> <td>प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की एक समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।</td> <td>प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	सीटों की संख्या	शुल्क	(एक)	वीडियो चलचित्र जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 5,000.00 रुपये	(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 2,500.00 रुपये।	(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 2,500 रुपये।	(चार)	किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र-	-		(क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।		(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की एक समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।
क्र० सं०	सीटों की संख्या	शुल्क																																									
(i)	केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सहित वीडियो सिनेमा	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर 2,400.00 रुपये।																																									
(ii)	होटल	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये या उसके भाग के लिये प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर 1,200.00 रुपये।																																									
(iii)	सार्वजनिक वाहन	प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 1,200.00 रुपये।																																									
(iv)	स्थानीय क्षेत्र में सचल वीडियो सिनेमा-	-																																									
	(क) नये लाइसेंस को प्रदान करने हेतु या उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ से एक वर्ष के लिये इसके नवीकरण हेतु।	प्रतिमास या उसके भाग के लिये 100.00 रुपये।																																									
	(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने या वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ होने एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसे जारी रखने हेतु।	प्रतिमाह या उसके भाग के लिये 200.00 रुपये।																																									
क्र० सं०	सीटों की संख्या	शुल्क																																									
(एक)	वीडियो चलचित्र जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 5,000.00 रुपये																																									
(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 2,500.00 रुपये।																																									
(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये 2,500 रुपये।																																									
(चार)	किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र-	-																																									
	(क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।																																									
	(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की एक समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।																																									

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

(2) यदि कोई ऐसा प्रबन्ध हो, जहां अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविजन स्क्रीन, वीडियो स्क्रीन या वीडियो स्कोप पर कोई प्रदर्शन वीडियो द्वारा दिखाया जाय, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदर्शित प्रत्येक ऐसे स्क्रीन के लिये प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए 100.00 रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उदगृहीत किया जायेगा।

9-नियम-18 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नियम-18 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम-1 और (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम

18-वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी लाइसेंस प्रदान किया जाना-

(1) वीडियो लाइब्रेरी या टेलीविजन रिसीवर एजेंसी रखने हेतु अनुज्ञापति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन उस स्थान जिसे अनुज्ञापति किया जाना है, के पूरे पते (स्थायी और स्थानीय) सहित विवरण के साथ अनुज्ञापति अधिकारी को नीचे खण्ड (क) या (ख) जैसा कि मामला हो, में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जायेगा।

(क) टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जायेगा-

(i) आसन्न श.वासों के सम्बन्ध में आवास की तथा सार्वजनिक आम रास्ता जिससे आवास सटा हुआ है, की अवस्थिति दर्शाते हुए स्थल मानचित्र।

(ii) उक्त एजेंसी के स्थल या भवन या दुकान के स्वामित्व या किरायेदारी को दर्शाने वाला दस्तावेज।

(iii) फोटो पहचान-पत्र एवं पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज जैसे निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत कोई फोटो पहचान पत्र।

(iv) रु0 25,000.00 की बैंक गारंटी वाले दस्तावेज।

(v) चैनल स्वामी या उसके समनुदेशिनी से प्राप्त अधिकार पत्र/सहमति।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) यदि कोई ऐसा प्रबन्ध हो, जहां अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविजन स्क्रीनों, या संयोजनों, वीडियो स्क्रीन या वीडियो स्कोप पर कोई प्रदर्शन वीडियो या केबिल सेवाओं द्वारा किया जाये, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, प्रदर्शित प्रत्येक ऐसे स्क्रीन/प्रति संयोजन के लिये प्रति वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 100.00 रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उदगृहीत किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

18-वीडियो लाइब्रेरी को लाइसेंस प्रदान किया जाना-

(1) वीडियो लाइब्रेरी रखने के निमित्त लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें आवेदक का नाम, पूर्ण पता (स्थायी और स्थानीय) तथा निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पता तथा पहचान प्रमाण के दस्तावेजों के साथ लाइसेंस वाले स्थान का पूर्ण विवरण होगा।

(क) निकाल दिया गया।

(7)

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(ख) वीडियो लाइब्रेरी के मामले में खण्ड (क) के उपखण्ड (i) व (ii) में विहित दस्तावेजों के साथ तथा आवासीय पते के प्रमाण जैसे-निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड आदि के साथ आवेदन किया जायेगा।

परन्तु यह कि पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दी जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, नीचे स्तम्भ-i में विहित आबादी वाले स्थानीय क्षेत्र में स्तम्भ-ii या iii में जैसा कि मामला हो, विनिर्दिष्ट दर पर एक वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिये शुल्क का भुगतान करने पर वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी रखने के लिये एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है या उसका नवीकरण कर सकता है-

स्तम्भ-I (स्थानीय क्षेत्र)	स्तम्भ-II (वीडियो लाइब्रेरी हेतु अनुज्ञप्ति फीस)	स्तम्भ-III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी हेतु अनुज्ञप्ति फीस)
(क) नगर निगम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा	पांच हजार रुपये	दस हजार रुपये
(ख) नगरपालिका परिषद्	तीन हजार रुपये	छः हजार रुपये
(ग) टाऊन एरिया/ अन्य स्थान	एक हजार पांच सौ रुपये	तीन हजार रुपये

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(एक) ऐसे दस्तावेज, जिनमें उक्त अभिकरण के स्थान या भवन या दुकान का स्वामित्व या किरायेदारी दर्शायी गयी हो;

(दो) फोटो परिचय और पता का प्रमाण अर्थात् निर्वाचन फोटो परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी किसी फोटो परिचय पत्र से संबंधित दस्तावेज ;

परन्तु पता में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर तत्काल लाइसेंस प्राधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या नीचे स्तम्भ-1 में उल्लिखित है, यथास्थिति स्तम्भ-2 या तीन में नीचे विनिर्दिष्ट दर पर एक वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए शुल्क का भुगतान करने पर वीडियो लाइब्रेरी रखने के लिये एक बार में अनधिक पांच वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए लाइसेंस दे सकता है या उसका नवीकरण कर सकता है-

स्तम्भ-1 (स्थानीय क्षेत्र)	स्तम्भ-2 (वीडियो लाइब्रेरी हेतु लाइसेंस शुल्क)
(क) नगर निगम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा	पांच हजार रुपये
(ख) नगरपालिका परिषद्	तीन हजार रुपये
(ग) टाऊन एरिया/ अन्य स्थान	एक हजार पांच सौ रुपये

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(6) लाइसेंस गृहीता कमिश्नर द्वारा यथाविहित एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें यथास्थिति चलचित्रों कैसेट या टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर के समस्त वीडियो कैसेट पूर्ण अद्यतन अभिलेख होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(6) लाइसेंस गृहीता द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथाविहित रूप में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें चलचित्रों के समस्त वीडियो कैसेट का पूर्ण अद्यतन अभिलेख होगा।

(ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम-(8) और (9) के स्थान निम्नलिखित उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(8)(क) टेलीविजन सिग्नल रिसीवर का अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अधीन प्रदर्शन करने की अनुज्ञप्ति धारण करने वाले या घर में देखने वालों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को विक्रय, भण्डारण किराये पर देने, संवितरित करने, आदान-प्रदान या किसी भी रूप में प्रचालन का कार्य नहीं करेगा।

(ख) चैनल के निरन्तर पारेषण के लिये ऐसे प्रत्येक संव्यवहार या उसके किसी प्रभार के लिये कमिश्नर द्वारा यथाविहित प्रपत्र में एक रसीद जारी की जायेगी और ऐसी रसीद पर तथा साथ ही साथ उपनियम (6) के अधीन अनुरक्षित पंजी पर पृष्ठांकन किया जायेगा।

(9) इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना तथा मासिक आय जो आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी, को प्रस्तुत करेगा।

10—नियम-21 का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

21—ग्निशमन उपकरण आदि के लिए प्रावधान—बे।सी0एफ0 2 किलोग्राम की क्षमता वाला पोर्टेबल अग्नि शमन उपकरण और 9 लीटर क्षमता का एक सोडा एसिड और एक बाल्टी (9 लीटर) की जिसमें रेत भरी हो और 4 बाल्टियां (9 लीटर) जिनमें पानी भरा हो, वीडियो सिनेमा के परिसर में और सचल वीडियो सिनेमा में व्यवस्था की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

निकाल दिया गया

निकाल दिया गया

(8) इस अध्याय के अधीन लाइसेंसधारी ऐसी सूचना तथा मासिक विवरणी उपलब्ध करायेगा जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाये।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

21—अग्निशामक यंत्र आदि के लिए उपबंध—वीडियो सिनेमा के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी (अग्नि शमन) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसका अधिकारिता हो, का प्रमाण-पत्र ऊपर उपबंधित किये गये अग्नि शमन संबंधी उपकरण हेतु व्यवस्थायें और अग्नि के विरुद्ध बरती गयी सावधानियां राष्ट्रीय भवन संहिता के मार्ग दर्शनों के अधीन विद्यमान भवन निर्माण संबंधी नियमों और विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

अस्थायी भवन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसका अधिकारिता हो, का प्रमाण-पत्र कि उपबंधित किये गये अग्नि शमन संबंधी उपकरण हेतु व्यवस्थायें और अग्नि के विरुद्ध बरती गयी सावधानियां विद्यमान नियमों और मार्गदर्शनों की अग्नि शमन संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

11-नियम-23 का संशोधन-उक्त नियमावली में नियम-23 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम-(3) के स्थान पर स्तम्भ-2 दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

23-अपील के लिए प्रक्रिया-(3) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह ठीक समझे अस्थायी स्थगन प्रदान कर सकती है और अपने आदेश की एक प्रति मनोरंजन कर आयुक्त और सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को भी भेज सकती है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

23-अपील के लिए प्रक्रिया-(3) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह उचित समझे अस्थायी स्थगन दे सकती है और अपने आदेश की एक प्रति इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकारी और सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर सकती है।

12-नियम-24 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-24 के स्थान पर स्तम्भ-2 दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

24-निरीक्षण-निम्नलिखित अधिकारी किसी वीडियो सिनेमा के परिसर में, वीडियो लाइब्रेरी, होटल या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किसी वाहन में किसी समय प्रवेश कर सकते हैं और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर सकते हैं-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

24-निरीक्षण-इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी इस नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी वीडियो सिनेमा, वीडियो लाइब्रेरी, होटल या यान के परिसर में किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं-

(i) आयुक्त, उपआयुक्त, सहायक आयुक्त, जिला मनोरंजन कर अधिकारी और मनोरंजन और दौंव कर विभाग का निरीक्षक।

(एक) लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।

(ii) उप निदेशक (मनोरंजन कर), राजस्व और सतर्कता निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

(दो) पुलिस अधीक्षक के परामर्श से लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अनधिक दो पुलिस अधिकारी।

(iii) पुलिस अधीक्षक के परामर्श से लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अनधिक दो पुलिस अधिकारी।

(तीन) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनधिक दो मजिस्ट्रेट।

(iv) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनधिक दो मजिस्ट्रेट।

(चार) विद्युत सुरक्षा विभाग के संबंधित क्षेत्र का उपनिदेशक या सहायक निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और

(v) सरकार का विद्युत निरीक्षक और

(पांच) जिले का उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा का ज्येष्ठतम् वृत्तिक अधिकारी।

(vi) जिले का उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा का ज्येष्ठतम् वृत्तिक अधिकारी।

13-प्रपत्र-1 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र-1

(नियम-10 देखें)

का फार्म.....

के लिए आवेदन वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन के लिए अनुज्ञप्ति

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र-1

(नियम-10 देखें)

के लिए.....

हेतु आवेदन पत्र वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन के लिए लाइसेंस

(i) आवेदक का नाम.....

(एक) आवेदक का नाम.....

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र-1

- (ii) पिता का नाम.....
(iii) आयु और लिंग.....
(iv) पता—

- (i) स्थायी (सम्यक्तः सत्यापित)
.....
(ii) वर्तमान पता.....

2-स्थान का नाम और वर्णन—उस मकान या प्लॉट की संख्या यदि हो, जहां वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है, का वास्तविक स्थान और उस स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, जहां वह स्थित है और सार्वजनिक वाहन की दशा में उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या और कार्य का मार्ग, यदि हो, लिखें।

3-(i) नियम-10 (2) (i) के अधीन स्थल भवन प्लान, दो प्रतियों में,

(ii) नियम-10 (2) (ii) के अधीन स्थल भवन प्लान, दो प्रतियों में,

(iii) भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अधीन वीडियो या टेलीविजन के वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राप्त किये गये अनुसूची की फोटो स्टेट प्रति

(iv) नियम-10 (2) (iv) के अधीन स्थल भवन यंत्र और वाहन के स्वामित्व या किरायेदारी को दर्शाने वाला दस्तावेज,

(v) भागीदारी फिल्मों की दशा में, भागीदारों के नाम और पते।

4-वीडियो सिनेमा और सचल वीडियो सिनेमा की दशा में—

(i) प्रतिदिन के लिए प्रस्तावित शो की संख्या और प्रत्येक शो का समय,

(ii) चौड़ाई—(क) टेलीविजन स्क्रीन की, (ख) वीडियो स्क्रीन की,

(iii) कुल सीटिंग क्षमता और प्रत्येक श्रेणी में श्रेणीवार सीटिंग व्यवस्था

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र-1

- (दो) पिता का नाम.....
(तीन) आयु और लिंग.....
(चार) पता—

- (एक) स्थायी (सम्यक्त रूप से सत्यापित)
.....
(दो) वर्तमान पता.....
(तीन) संपर्क संख्या.....
(चार) ई-मेल आईडी.....

2-स्थान का नाम और विवरण—ठीक अवस्थिति और मकान संख्या या प्लॉट संख्या, यदि कोई हो, यदि वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने का प्रस्ताव हो और सार्वजनिक सेवा यान कि स्थिति में रजिस्ट्रीकरण संख्या और चलाने का मार्ग, यदि कोई हो।

3-(एक)—नियम-10 (2) (एक) के अधीन स्थल नक्शा दो प्रतियों में,

(दो) नियम-10 (2) (दो) के अधीन भवन नक्शा, दो प्रतियों में,

(तीन) निकाल दिया गया

(चार) दस्तावेज जिसमें नियम-10 (2) (पांच) के अधीन स्थान, भवन और साधित्र का स्वामित्व या किरायेदारी दिखायी गयी हो,

(पांच) भागीदारी फर्म की स्थिति में, भागीदारों का नाम और पता।

4-वीडियो चलचित्र और चल वीडियो चलचित्र की स्थिति में—

(एक) प्रतिदिन आयोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रदर्शनों की संख्या और प्रत्येक प्रदर्शन का समय,

(दो) (क) टेलीविजन स्क्रीन (ख) वीडियो स्क्रीन की चौड़ाई

(तीन) बैठने की कुल क्षमता और प्रत्येक श्रेणी के लिये श्रेणीवार बैठने का प्रबन्ध

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र-1

(iv) प्रवेश की दरें और प्रत्येक टिकट के लिए कर

(v) प्रबन्धक यदि हो, का नाम और पता

(vi) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन शुरू करने की प्रस्तावित तिथि

5-होटल की दशा में-

(i) टेलीविजन स्क्रीनों/वीडियो, स्क्रीनों/वीडियो स्कोपों की संख्या

(ii) वीडियो कैसेट प्लेयर्स की संख्या

(iii) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन की सुविधा वाले कक्षों की प्रस्तावित संख्या

(iv) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन शुरू करने की प्रस्तावित तिथि

(v) प्रबन्धक का नाम और पता

6-उस ट्रेजरी चालान की संख्या और तिथि जिसके द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस/नवीकरण फीस जमा की गयी है। तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर और पता,
राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सम्यक्: प्रमाणित।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र-1

(चार) प्रत्येक टिकट के लिए कर सहित प्रवेश की दर

(पांच) प्रबन्धक का नाम और पता, यदि कोई हो

(छः) वीडियो द्वारा प्रदर्शन प्रारम्भ करने का प्रस्तावित दिनांक

5-होटल की स्थिति में-

(एक) टेलीविजन स्क्रीन/वीडियो, स्क्रीन/ वीडियो स्कोप की संख्या

(दो) वीडियो कैसेट प्लेयर की संख्या

(तीन) वीडियो द्वारा प्रदर्शन की सुविधा के साथ कक्षों की प्रस्तावित संख्या

(चार) वीडियो द्वारा प्रदर्शन प्रारम्भ करने का प्रस्तावित दिनांक

(पांच) प्रबन्धक का नाम यदि कोई हो

6-कोषागार चालान, जिसके द्वारा विहित लाइसेंस शुल्क और नवीकरण शुल्क की धनराशि जमा की गयी, की संख्या और दिनांक।

आवेदक का हस्ताक्षर और किसी,
राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सम्यक् रूप से सत्यापित पता।

14-प्रपत्र-दो का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र-दो के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र-दो

(नियम-12 देखें)

वीडियो चलचित्र और चल वीडियो चलचित्र के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के अधीन अनुज्ञप्ति का फार्म

सं०.....दिनांक.....
(क).....(वीडियो चलचित्र/चल वीडियो चलचित्र का नाम) को जो (ख) स्थान.....जिला.....में स्थित है, उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-3 और उ०प्र० चलचित्र (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम-11 के अधीन ऐसे स्थान के रूप में अनुज्ञप्त किया जाता है जहां वीडियो के माध्यम से.....20.....सेतक, जिनमें दोनों दिन शामिल हैं, प्रदर्शन किया जा सकता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र-दो

(नियम-12 देखें)

वीडियो चलचित्र और चल वीडियो चलचित्र के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के अधीन लाइसेंस का प्रपत्र

सं०.....दिनांक.....
(क).....(वीडियो चलचित्र/चल वीडियो चलचित्र का नाम) को जो (ख) स्थान.....में जिला.....में स्थित है, उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-3 और उ०प्र० चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम-11 के अधीन ऐसे स्थान के रूप में अनुज्ञप्त किया जाता है जहां वीडियो द्वारा.....20.....सेतक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, प्रदर्शन किया जा सकता है।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

अनुज्ञप्ति (ग).....
(नाम) को दिया गया है और यदि उक्त (ग).....
(नाम).....का उक्त (क).....
का स्वामित्व छोड़ता है, पट्टा पर रखने या प्रबन्ध
करना समाप्त हो जाये।

अनुज्ञप्ति उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,
1955 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों
और निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अधीन किया
जाता है—

(1) यह कि उक्त (ग) उक्त
(क).....में कोई ऐसी फिल्म को प्रदर्शित नहीं
करेगाया प्रदर्शित, करने की अनुमति नहीं देगा, जो
ऐसी फिल्म से भिन्न हो जिसे चलचित्र अधिनियम,
1952 की धारा 3 के अधीन गठित किसी प्राधिकारी
द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप से
प्रमाणित किया गया हो और जो प्रदर्शित किये जाने
पर उस प्राधिकारी का विहित चिन्ह प्रदर्शित करती है
और उसमें ऐसा चिन्ह लगाये जाने के बाद किसी तरह
से कोई परिवर्तन या फेरबदल नहीं किया गया है।

(2) यह कि उक्त (ग).....
उक्त (क).....में किसी ऐसे व्यक्ति को जो
वयस्क नहीं है, कोई फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और
न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा, जो चलचित्र
अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित
प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त
प्रमाणित की गयी हो और केवल वयस्कों के लिए हो।

(3) यह कि उक्त (ग).....उक्त (क)
में (1) यौन रोग और यौन विकार को ठीक करने के
लिये औषधि के बारे में या निःसंतान को संतान आदि
प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से किसी
विज्ञापन का और

(2) उक्त (क)के परिसर में कोई
अशिष्ट, अश्लील, अनैतिक या उद्दीपक विज्ञापन, चित्र
या पोस्टर का न तो प्रदर्शन करेगा और न प्रदर्शन
करायेगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

लाइसेंस (ग)..... को
दिया गया और उसे तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा
यदि उक्त (ग).....(नाम).....का
उक्त (क).....का स्वामित्व पट्टे पर रखने या प्रबन्ध
करना समाप्त हो जाये।

लाइसेंस उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,
1955 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों
के अधीन रहते हुए और निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों पर
दिया जाता है—

(1) यह कि उक्त (ग) उक्त
(क).....में ऐसी फिल्म से जिसे चलचित्र
अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी
द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित
किया गया हो और उसे जब प्रदर्शित किया जाये तब
उस प्राधिकारी का नियत चिन्ह संप्रदर्शित करें और जब
से उस पर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो, उसमें किसी भी
प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगाड़ा न गया
हो, भिन्न कोई फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न
प्रदर्शित करने की अनुमति देगा।

(2) यह कि उक्त (ग).....
उक्त (क).....में ऐसे किसी व्यक्ति को जो
वयस्क नहीं है, कोई ऐसी फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा
और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा, जो चलचित्र
अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी
द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की
गयी हो और केवल वयस्कों के लिए हो।

(3) यह कि उक्त (ग).....उक्त (क) में
(1) यौन रोग और यौन विकार को ठीक करने के लिये
औषधि के बारे में या निःसंतान को संतान आदि प्राप्त
करने में सहायता देने के उद्देश्य से किसी विज्ञापन
का और

(2) उक्त (क)के परिसर में कोई
अशिष्ट, अश्लील, अनैतिक या उद्दीपक विज्ञापन, चित्र
या पोस्टर का न तो प्रदर्शन करेगा और न प्रदर्शन
करायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

(4) यह कि उक्त (ग)..... प्रदर्शित के लिए प्रस्तावित प्रत्येक वीडियो फिल्म की पूर्व सूचना और साथ में चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का सार, संख्या और तिथि के ब्यौरे और वीडियो फिल्म के सप्लायर या वितरक का नाम कम से कम एक सप्ताह पहले या उचित और पर्याप्त कारण से जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञापिधारी के आवेदन पर स्वीकार किया जायेगा प्रस्तावित प्रदर्शन के तीन दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान करेगा :

परन्तु यदि उक्त (ग).....इस शर्त के प्रावधानों के अनुसार एक माह या उससे कम अवधि के भीतर की निर्धारित अवधि के भीतर अनेक फिल्मों की बाबत एक कार्यक्रम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करता है तो अनुज्ञापिधारी को यह जरूरी नहीं होगा कि वह मूलतः अनुवेदित कार्यक्रम में फिल्मों के प्रदर्शन को प्रस्तावित तिथियों में निर्धारित अवधि में इच्छित किसी परिवर्तन के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करे।

(5) यह कि आडिटोरियम में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक श्रेणी के लिये सीटों की संख्या में इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी और अग्नि अवरोधी उपकरणों, एग्जास्ट फैनो, विद्युत पंखों या स्वच्छता अपेक्षाओं में उनमें निर्धारित किये गये से कमी नहीं की जायेगी।

(6) यह कि उक्त (ग).....कोई ऐसा चित्र, फोटो या पोस्टर जो कोई ऐसा दृश्य या शॉट वर्णित करे या प्रस्तुत करने के लिये तात्पर्यित हो जिसे फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म से निकाल दिया गया हो, प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित नहीं करायेगा।

(7) यह कि 9.00 पूर्वाह्न से 12.30 बजे मध्याह्न के बीच दैनिक प्रदर्शन (शो) की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा और कि कोई प्रदर्शन (शो) अनुज्ञापि प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना जो अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जायेगी, 9.00 बजे पूर्वाह्न के पूर्व और 12.30 बजे मध्याह्न के पश्चात् आयोजित नहीं किया जायेगा।

2 सा. विन - 4

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(4) यह कि उक्त (ग)..... जिला मजिस्ट्रेट को प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक वीडियो फिल्म की पूर्ववर्ती सूचना और चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र का संक्षेप और संख्या और दिनांक का ब्यौरा और वीडियो फिल्म के प्रदायक या वितरक का नाम प्रदर्शित प्रदर्शन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व या लाइसेंस ग्रहीता के आवेदन-पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये गये ठोस और पर्याप्त कारणों से प्रस्तावित प्रदर्शन के तीन दिन पूर्व भेजेगा :

परन्तु यदि उक्त (ग).....इस शर्त के उपबन्धों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को एक मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इससे कम अवधि में अनेक फिल्मों के सम्बन्ध में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लाइसेंस ग्रहीता के लिए या आवश्यक नहीं होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे परिवर्तन की सूचना दे जिसे वह प्रारम्भ में प्रस्तुत कार्यक्रम में सम्मिलित फिल्म प्रदर्शन के लिये प्रस्तावित दिनांक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करना चाहता हो।

(5) यह कि प्रेक्षागृह में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक श्रेणी के लिये सीट संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्या से न तो अधिक होगी और न अग्निशामक साधित्र, एकजास्ट पंखे, बिजली के पंखे या स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकतायें उसमें विनिर्दिष्ट संख्या और विवरण से कम होंगी।

(6) यह कि उक्त (ग).....किसी ऐसे फोटो चित्र या पोस्टर को न तो संप्रदर्शित करेगा और न संप्रदर्शित करायेगा जिसमें कोई ऐसा दृश्य या शॉट चित्रित यह प्रदर्शित हो या प्रदर्शित करने का उद्देश्य हो जिसे बोर्ड ऑफ सार्टिफिकेशन या केन्द्रीय सरकार के आदेश से किसी फिल्म से काट दिया गया हो।

(7) यह कि 9.00 पूर्वाह्न से 12.30 बजे पूर्वाह्न के बीच दैनिक प्रदर्शन (शो) की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा और कि कोई प्रदर्शन (शो) लाइसेंस प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना जो अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जायेगी, 9.00 बजे पूर्वाह्न के पूर्व और 12.30 बजे पूर्वाह्न के पश्चात् आयोजित नहीं किया जायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

(8) यह कि कार्य दिवसों में 3.00 बजे अपरान्ह से पहले 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को शो में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

टिप्पणी-5-(पांच) वर्ष से कम के आयु के बच्चों को जो अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ आये हों इस प्रतिबन्ध से छूट प्रदान की जायेगी। यह प्रतिबन्ध छुट्टी दिवसों में भी लागू नहीं होगा।

टिप्पणी-इस प्रयोजनार्थ छुट्टियों में रविवार, राजपत्रित अवकाश और शैक्षिक संस्थाओं के लिये निर्धारित छुट्टियां शामिल होंगी।

(9) यह कि 14 वर्ष से कम की आयु के किशोरों को 9.00 बजे अपरान्ह और उसके बाद से शुरू होने वाले देर रात तक के शो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि वे अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ न आये हों।

(10) यह कि उक्त (ग).....या शो के प्रबन्ध के लिये जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति उ०प्र० मनोरंजन और दौंव कर अधिनियम, 1979 और उसके अधीन बनाये गये नियमों से सम्बन्धित किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(11) विलोपित

(12) यह कि ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि प्रदर्शन के दौरान सब समय सभी को अच्छी तरह से दिखाई पड़े और सीटों को हमेशा अच्छी दशा में मरम्मत करके रखा जायेगा।

(13) यह कि स्थायी वीडियो चलचित्र की सभी दीवारें और फर्श सभी समय साफ सुथरी रखी जायेगी। प्रत्येक दिन कम से कम एक बार कीटनाशी दवा द्वारा धोई जायेगी और जमीन से 90 सेमी की ऊंचाई वाली सभी दीवारों माह में कम से कम एक बार तेज कीटनाशक द्वारा धोई जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(8) यह कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के कार्य दिवस में 3.00 बजे अपरान्ह के पूर्व आयोजित प्रदर्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी-माता-पिता या संरक्षकों के साथ आने वाले 5 (पांच) वर्ष तक की आयु के शिशुओं को इस निर्बन्धन से छूट दी जायेगी यह निर्बन्धन अवकाश के दिनों पर भी लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिये अवकाश के दिनों के अन्तर्गत रविवार, राजपत्रित अवकाश और शैक्षिक संस्थाओं के लिये विहित अवकाश दीर्घावकाश भी होंगे।

(9) यह कि 14 (चौदह) वर्ष से कम की आयु के किशोरों को 9.00 बजे रात्रि और उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले रात्रि प्रदर्शन में प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक की उनके साथ माता-पिता या संरक्षक न हों।

(10) यह कि ध्वनि और प्रकाश का प्रबन्ध ऐसा होगा कि प्रदर्शन के दौरान सभी समय पर सभी लोग भली-भांति देख और सुन सके और सीटों की मरम्मत कराकर उन्हें हमेशा अच्छी दशा में रखा जायेगा।

(11) यह कि स्थायी वीडियो चलचित्र की समस्त दीवारें और फर्श सर्वदा साफ रखे जायेंगे, प्रतिदिन कम से कम एक और विसंक्रामक से धुलाई की जायेगी और फर्श से 90 सेन्टीमीटर की ऊंचाई तक समस्त दीवारों को प्रतिमास कम से कम एक बार तेज विसंक्रामक से साफ किया जायेगा।

(12) बैठने की क्षमता की 50 सीट के लिये कम से कम दो पीकदान और प्रत्येक 20 सीट के लिये एक अतिरिक्त पीकदान की व्यवस्था उचित स्थानों पर की जायेगी। पीकदानों में तेज विसंक्रामक हो और उन्हें समय-समय पर खाली करके साफ किया जायेगा। ऐसे पीकदानों का उपयोग करने की सूचना प्रमुख स्थानों पर संप्रदर्शित की जायेगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

(14) 50 सीटों की सीटिंग क्षमता के लिये कम से कम दो पीकदान की और प्रत्येक 20 सीटों के लिये एक अतिरिक्त पीकदान की व्यवस्था उचित जगह पर की जायेगी। पीकदान में तेज कीटनाशी दवा रखी जायेगी और उन्हें समय-समय पर खाली किया जायेगा और साफ किया जायेगा। ऐसे पीकदान के उपयोग का नोटिस सुदर्शन स्थान पर लगाया जायेगा।

(15) विलोपित

दिनांक.....

अनुज्ञप्ति अधिकारी

अनुसूची

1-कुल स्वीकृत बैठने की क्षमता (श्रेणीवार सीटों का विवरण, यदि हो)

2-टी0वी0 स्क्रीन/वीडियो स्क्रीन, वीडियो स्कोप स्क्रीन का आकार।

3-सीलिंग फैनो या ब्रैकेट फैनो की संख्या और आकार तथा वर्णन।

4-एकजास्ट फैनो की संख्या और आकार तथा वर्णन

5-पुरुषों और महिलाओं के लिये शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या।

6-अग्नि शमन के ब्योरे-

(क) सी0टी0सी0 अग्नि शमन यंत्र

(ख) सोडा एसिड अग्नि शमन यंत्र

(ग) बालू की बाल्टियां

(घ) पानी की बाल्टियां

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

15-प्रपत्र-तीन का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र
प्रपत्र-तीन-क
(नियम-12 देखें)

केबल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में उ0प्र0 चलचित्र (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के अधीन अनुज्ञप्ति का फार्म

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

अनुसूची

1-कुल स्वीकृत बैठने की क्षमता (सीटों की श्रेणीवार अलग-अलग संख्या, यदि कोई हो)

2-टी0वी स्क्रीन/वीडियो स्क्रीन/वीडियो स्कोप स्क्रीन का आकार

3-छत पंखों या ब्रैकेट पंखों की संख्या और उनका आधार और विवरण।

4-एकजास्ट पंखों की संख्या और उनका आकार और विवरण।

5-पुरुषों और महिलाओं के लिये मूत्रालयों और शौचालयों की संख्या।

6-अग्नि शमन का ब्योरा-

(एक) सी0टी0सी0 अग्नि शामक।

(दो) सोडा एसिड अग्नि शामक।

(तीन) बालू की बाल्टियां।

(चार) पानी की बाल्टियां।

लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र-तीन-क
(नियम-12 देखें)

केबल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में उ0प्र0 चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के अधीन लाइसेंस का प्रपत्र।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

सं०..... वर्ष.....
(क).....(केबल आपरेटर का नाम).....
(ख) पर स्थित, उ०प्र० सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1956) की धारा 3 तथा उ०प्र० चलचित्र (वीडियो के माध्यम से चलचित्र प्रदर्शन का विनियमन) नियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत.....(स्थान).....
जिला.....को ऐसे स्थान के रूप में अनुज्ञप्त किया जाता है जहां.....से.....तक जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन किया जा सकता है। अनुज्ञप्ति (ग).....(नाम) को प्रदान की गयी है यदि (ग).....उपरोक्त (क).....के स्वामित्व से, किराये पर धारण करने से या व्यवस्था करने से प्रक्रित होता है तो तत्काल समाप्त हो जायेगी।

यह अनुज्ञप्ति उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1956) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों और अगली निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है—

(1) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में उस फिल्म से भिन्न जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा लोक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त रूप में प्रमाणित किया गया है और उसे प्रदर्शित किये जाने पर उस प्राधिकारी का विहित चिन्ह प्रदर्शित करती है और जिसमें ऐसे चिन्ह को उसमें लगाये जाने के बाद किसी तरह से परिवर्तन या काट-छांट नहीं की गयी है, किसी फिल्म को प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में कोई फिल्म, जो जानबूझ कर किसी फिल्म के प्रतिलिप्यधिकार को रोकती है या उसे समाप्त करती है, प्रदर्शित नहीं करेगा, या प्रदर्शित किये जाने की अनुमति नहीं देगा।

(3) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में किसी प्रस्तुति में (1) कोई विज्ञापन जो यौन जनित बीमारियों से संबंधित हो और ऐसे दवाइयों से सम्बन्धित हो जो यौन जनित विकृतियों को ठीक करने के लिये या निःसंतान दम्पतियों को संतान प्राप्त करने के लिये तात्पर्यित हो, आदि और (2) उक्त (क).....के परिसर में कोई अश्लील, भौण्डी, अनैतिक या विचारोत्तेजित विज्ञापनों, चित्रों या पोस्टरों को प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित नहीं करायेगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

सं०..... दिनांक.....
(क).....(केबल आपरेटर का नाम).....को जो (ख) पर (स्थित).....में जिला.....में स्थित है, यथा संशोधित चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1956) की धारा 3 और उ०प्र० चलचित्र (वीडियो द्वारा चलचित्र प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम-12 के अधीन ऐसे स्थान के रूप में लाइसेंस दिया जाता है जहां वीडियो द्वारा20.....से.....तक जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, प्रदर्शन किया जा सकता है। लाइसेंस (ग).....को दिया गया है और उसे तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा यदि (ग).....(नाम).....का उक्त (क).....का स्वामित्व पट्टे पर रखने या प्रबन्ध करना समाप्त हो जाय।

लाइसेंस उ०प्र० चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1956) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित अग्रतर शर्तों पर दिया जाता है—

(1) यह कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में ऐसी फिल्म से भिन्न जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 (अधिनियम सं० 37, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो और उसे जब प्रदर्शित किया जाय तब उस प्राधिकारी का नियत चिन्ह संप्रदर्शित करे और जब से उस पर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगड़ा न गया हो, भिन्न कोई फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा।

(2) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में किसी फिल्म, के प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन करते हुये या उसे दुष्प्रेरित करते हुये कोई ऐसी फिल्म जानबूझ कर न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा।

(3) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में यौन रोग या यौन विकार को ठीक करने के लिये औषधि के बारे में या निःसंतान को संतान आदि प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से किसी विज्ञापन कर और (2) उक्त (क).....के परिसर में कोई अशिष्ट, अश्लील, अनैतिक या उद्दीपक विज्ञापन, चित्र या पोस्टर का न तो प्रदर्शन करेगा और न प्रदर्शन करायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र

(4) कि उक्त (ग).....प्रदर्शन के लिये प्रस्तावित प्रत्येक वीडियो फिल्म की पूर्व सूचना, संक्षेप में और चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा (3) के अधीन संगठित किसी प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये प्रमाण-पत्र की संख्या और तिथि के विवरण सहित और वीडियो फिल्म के आपूर्तिकर्ता या वितरक का नाम कम से कम एक सप्ताह पूर्व या अनुज्ञापिकर्ता द्वारा आवेदन देने पर जिलाधिकारी द्वारा अच्छे और पर्याप्त कारणों को स्वीकृति देने के प्रस्तावित प्रदर्शन से दो दिन पूर्व, भेज देगा :

परन्तु यह है कि उक्त (ग).....जिला अधिकारी को उपबंधों या इन शर्तों के अधीन एक माह या कम के समय के लिये फिल्मों की संख्या से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका है, तब अनुज्ञापिधारी को उक्त विहित अवधि में मूल रूप में जमा किये कार्यक्रम में सम्मिलित फिल्म के प्रदर्शन के प्रस्तावित तिथि में आशयित परिवर्तन की सूचना जिला अधिकारी को देना आवश्यक नहीं होगा।

(5) कि उक्त (ग).....पूर्ण स्क्रीन पर या पट्टी के रूप में क्षणिक चित्र या अन्य किसी रूप में किसी अश्लील फिल्म या उसके भाग को प्रदर्शित नहीं करेगा अथवा प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगा।

(6) कि उक्त (ग)कोई ऐसा फोटोग्राफ, चित्र या पोस्टर नहीं प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगा जो ऐसा दृश्य या शॉट वर्णित या प्रस्तुत करने के लिये तात्पर्यित हो जिसे फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड या केन्द्र सरकार के आदेशों के तहत फिल्म से काट दिया गया हो।

(7) कि उक्त (ग).....किसी स्थानीय चैनल को किसी अन्य एरियल चैनल या प्राइम बैंड पर प्रदर्शित नहीं करेगा।

(8) कि उक्त (ग).....या प्रदर्शन की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम, 1979 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 28, सन् 1979) और उसके अधीन निर्मित नियम महिलाओं के अश्लील प्रस्तुतिकरण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं0 60, 1986) और उसके तहत निर्मित नियमों तथा उ0प्र0 सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1955 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1956) और उसके तहत निर्मित नियमों से सम्बन्धित किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा।

(9) ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि प्रदर्शन के दौरान सारे समय टी0वी0 स्क्रीन की अच्छी दर्शनीयता और श्रव्यता रहे।

दिनांक.....

अनुज्ञापि प्राधिकारी

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

(4) यह कि उक्त (क).....जिला मजिस्ट्रेट को प्रदर्शन के लिये प्रस्तावित प्रत्येक वीडियो फिल्म की पूर्वावर्ती सूचना और चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र का संक्षेप और संख्या और दिनांक का ब्यौरा और वीडियो फिल्म के प्रदायक या वितरक का नाम, प्रस्तावित प्रदर्शन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व या लाइसेंस ग्रहीता के आवेदन-पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये गये ठोस और पर्याप्त कारणों से प्रस्तावित प्रदर्शन के दो दिन पूर्व भेजेगा :

परन्तु यह उक्त (ग).....इस शर्त के उपबंधों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को एक मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इससे कम अवधि में अनेक फिल्मों के सम्बन्ध में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया हो तो लाइसेंस ग्रहीता के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे परिवर्तन की सूचना दे जिसे वह प्रारम्भ में प्रस्तुत कार्यक्रम में सम्मिलित फिल्म प्रदर्शन के लिये प्रस्तावित दिनांक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करना चाहता हो।

(5) यह कि उक्त (ग) पूर्ण स्क्रीन पर या पट्टी के आकार या अचल चित्र में या किसी अन्य रीति से किसी अश्लील फिल्म या उसके आंशिक भाग का न तो प्रदर्शन करेगा और प्रदर्शन करने की अनुमति देगा।

(6) यह कि उक्त (ग)किसी ऐसे फोटो, चित्र या पोस्टर को न तो संप्रदर्शित करेगा और न संप्रदर्शित करायेगा जिसमें कोई ऐसा दृश्य या शार्ट चित्रित या प्रदर्शित हो या प्रदर्शित करने का उद्देश्य हो, जिसे बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन या केन्द्रीय सरकार के आदेश से किसी फिल्म से काट दिया गया हो।

(7) यह कि उक्त (ग) किसी अन्य एरियल चैनल के बैंड पर या प्राइम बैंड पर स्थानीय चैनल का प्रदर्शन नहीं करेगा।

(8) यह कि उक्त (ग) या प्रदर्शन के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1986) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1956) तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा।

(9) यह कि ध्वनि और प्रकाश का सम्बन्ध ऐसा होगा कि प्रदर्शनों के दौरान सभी समय पर टी0वी0 स्क्रीन की सम्यक् दृश्यता एवं श्रव्यता सुनिश्चित रहे।

दिनांक.....

लाइसेंस प्राधिकारी

12-प्रपत्र-चार का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र चार के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र
प्रपत्र-चार
(नियम-18 देखें)

वीडियो पुस्तकालय/टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी रखने हेतु अनुज्ञप्ति-

- 1-अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता।
- 2-यदि अनुज्ञप्तिधारी उस स्थान या भवन का स्वामी नहीं है तो उसके स्वामी का नाम व पता।
- 3-स्थान या भवन और उससे जुड़े भवन या उसे घेरने वाले स्थान की अवस्थिति।
- 4-पुस्तकालय के कार्य व्यापार घंटे।
- 5-अवधि जिसके लिये लाइसेंस दिया जाये।

अनुज्ञप्ति की शर्तें-यह अनुज्ञप्ति उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान किया जाता है-

- 1-कामकाज के घंटों के दौरान उक्त परिसर में कोई विहित निरीक्षण प्राधिकारी मुक्त प्रवेश करेगा ताकि वह यह देख सके कि क्या अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन किया जा रहा है।
- 2-अनुज्ञप्तिधारी अपने कब्जे की प्रत्येक फिल्म के सम्बन्ध में नियमों के अधीन विहित किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उस व्यक्ति की ओर से एक सहमति पत्र प्रस्तुत करेगा, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं0 14, 1957) की धारा 17 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशिती की ओर से होगा।
- 3-अनुज्ञप्तिधारी ऐसी फिल्म से भिन्न किसी फिल्म का विक्रय, भाड़े पर लेने या देने या वितरण करने या विनिमय और परिचालन करने का कार्य नहीं करेगा जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित किसी प्राधिकारी द्वारा लोक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त रूप प्रमाणित किया गया हो और जो

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र-चार
(नियम-18 देखें)

वीडियो लाइब्रेरी रखने के लिये लाइसेंस-

- 1-लाइसेंस गृहीता का नाम और पता।
- 2-यदि लाइसेंस गृहीता स्थान या भवन का स्वामी न हो तो उसके स्वामी का नाम और पता।
- 3-स्थान या भवन और पार्श्वस्थ भवन या उससे घिरे हुए स्थान की अवस्थिति।
- 4-लाइब्रेरी के कारबार का समय।
- 5-अवधि जिसके लिये लाइसेंस दिया जाये।

लाइसेंस की शर्तें-यह लाइसेंस उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये और निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है-

- 1-कोई विहित निरीक्षण प्राधिकारी यह देखने के लिये कि लाइसेंस की शर्तों का पालन किया जाता है या नहीं कारबार के समय उक्त परिसर में निर्बाध जा सकेगा।
- 2-लाइसेंसगृहीता अपने कब्जे की प्रत्येक फिल्म के सम्बन्ध में जब नियमावली के अधीन विहित किसी अधिकारी द्वारा मांग की जाये, तब उस व्यक्ति का, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं0 14, सन् 1957) की धारा 17 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी है और यदि ऐसा प्रतिलिप्याधिकार उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन समनुदेशित किया जाय तो ऐसे प्रतिलिप्याधिकारी का समनुदेशिती असम्मति पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 3-लाइसेंस गृहीता ऐसी फिल्म से जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो और उसे जब प्रदर्शित किया जाये तब उस प्राधिकारी का नियम चिन्ह संप्रदर्शित करे और जब से उस पर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो, उसमें किसी भी

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

प्रदर्शित किये जाने पर ऐसे विहित अधिकारी का चिन्ह प्रदर्शित करें और जिसे ऐसे चिन्ह को उसमें लगाये जाने के बाद परिवर्णित या काट-छांट न की गयी हो।

4-कि अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर को नियमित रूप से रख-रखाव करेगा।

5-कि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा विहित काल अवधि के भीतर सूचना और मासिक विवरणी उसे प्रेषित करेगा।

6-कि अनुज्ञप्तिधारी सभी चैनलों के टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी के सम्बन्ध में, अपने एजेंसी में उक्त चैनल के स्वामी या उसके समनुदेशिनी से प्राप्त मूल सहमति-पत्र या प्राधिकार को भी रखेगा और किसी निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर तत्काल सहमति का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी बिना ऐसे सहमति या प्राधिकार के किसी टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर को नहीं रखेगा, विक्रय नहीं करेगा, किराये पर नहीं लेगा या देगा या उसका वितरण, विनिमय या उसका परिचालन नहीं करेगा।

7-अनुज्ञप्तिधारी या टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी, केबिल टेलीवीन नेटवर्क (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1955 और उसके अधीन निर्मित नियमों तथा मनोरंजन एवं बाजी कर अधिनियम, 1979 और उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

8-अनुज्ञप्तिधारी या टेलीवीजन या टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी, फार्म-iii-क में इस निमित्त आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना स्थानीय चैनल पर स्थानीय रूप से जनित कार्यक्रम का किसी भी रूप में प्रसारण नहीं करेगा या प्रसारण की अनुमति नहीं प्रदान करेगा।

दिनांक.....

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगाड़ा न गया हो भिन्न कोई फिल्म न तो किराये पर लेगा, न किराये पर देगा, न वितरित करेगा, न आदान-प्रदान करेगा और न परिचालित करेगा।

4-कि लाइसेंस गृहीता नियत रजिस्टर नियमित रूप से रखेगा।

5-कि लाइसेंस गृहीता लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर ऐसी सूचना देगा और ऐसी मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा अपेक्षित हो।

दिनांक.....

लाइसेंस प्राधिकारी।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 139/11-6-2018-M(33)/2017, date February 23, 2018.

No. 139/11-6-2018-M(33)/2017

Allahabad, Dated: February 23, 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of video) Rules, 1988 :

**THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO)
(FIFTH AMENDMENT) RULES, 2018**

1. Short Title and Commencement—(1) Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of video) (Fifth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule-2—In the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of video) Rules, 1988, herein after referred to as the said rules, in rule 2,

(a) for the existing clause (a) set out in Column I below, the clause as set out in column II shall be substituted, namely :

Column-I (Existing Clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(a) "Act" means the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 ;	(a) "Act" means the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as amended from time to time);

(b) after clause (a-3), the following clause shall be inserted, namely,

(a-4) "form" means form appended to these rules,"

(c) for the existing clause (b) set out in Column I below, the clause, as set out in Column II shall be substituted, namely :

(b) "licence" means written authorisation by Licensing Authority to give exhibition by means of video or through cable television networks or to operate or keep video library or television signal receiver agency granted in Form II or Form III or Form III-A or Form IV, as the case may be, appended to these rules,"	(b) "licence" means written authorisation by Licensing Authority to give exhibition by means of video or through cable television networks or to operate or keep video library or(omitted) granted in Form II or Form III or Form III-A or Form IV, as the case may be, appended to these rules,"
--	---

(d) for the existing clause (1) set out in Column I below, the clause as set out in

(1) Local area shall have meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979.

(1) 'Local area' shall have the same meaning as a city within the meaning of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam 1959; or in municipality or a notified area within the meaning of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, or a town area within the meaning of the Uttar Pradesh Town Areas Act, 1914 or a Cantonment within the meaning of the Cantonments Act, 1924, or a Village within the meaning of the U.P. Revenue Code-2006 (as amended from time to time) ;

3. **Amendment of Rule-4**—In the said rules for rule 4 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I

(Existing Sub-rule)

4. Requirement of a permanent building.

(1) There shall be an independent entrance on the public thoroughfare on which the site of such building abuts.

(2) The building shall be provided with open space of not less than 3 meters in width on any two sides, and open space of less than 6 meters in width in the front for parking of vehicles. If the building is away from throughfare, the approach road shall not be less than 3 meters in width.

(3) The building--

Shall be well built, structurally safe and constructed of non-inflammable material ;

(ii) shall be sufficiently ventilated ;

(iii) shall have 1.6 meters wide verandah on any one side of the doorways of the building ;

(iv) shall have at least on doorway per 50 seats and in any case not less than two, fitted with door to open outwards and the size of the doors shall not be less than 1.95 meters in height and 1.34 meters in width ;

(v) the normal height of the roof or its immediate covering from the floor shall not be less than 3.5 meters with electric installations fitted at a height of 2.75 meters ;

(vi) shall have the landings, doors, stair cases, lobbies and corridors of not less that 1.3 meters in width.

[(4) In case the auditorium is constructed on the first floor of building, It shall have 1.6 meters side verandah on any two side with at least two stair cases to ground floor on two different sides, out of which one should about the main thoroughfare, The width of the stair case shall not be less than three and not more than 15 stairs at a stretch The open space required under sub-rule (2) shall be provided on ground floor. The other requirements shall be the same as in the preceding sub-rules ;

Provided that the consent of the occupier of the ground floor for the construction, if any, shall obtained in case the auditorium is constructed on the first floor.

Column-II

(Sub-rule as hereby substituted)

4. Requirement of a permanent building.

A permanent building of Video Cinema shall inter alia fulfill all relevant provisions of the Building Construction and development byelawa (as amended) of the State as well as the provisions of Cinema (Regulation of Exhibition by Means of Video) Rules, 1988.

4. **Amendment of Rule-9**—In the said rules for rule 9 for the existing sub-rule (7) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I (Existing Sub-rule)	Column-II (Sub-rule as hereby substituted)
9(7) All electrical installations and other allied work shall be carried out by licensed/registered contractor approved by the Electrical Inspector of U.P. Government.	9(7) All electrical installations and other allied work shall be carried out by licensed/registered contractor approved by the Electrical Security Department of U.P. Government.

5. **Amendment of Rule-10**—In the said rules for rule 10 for the existing sub-rule (1) and (2) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I (Existing Sub-rule)	Column-II (Sub-rule as hereby substituted)
(1) The application for license for giving exhibition by means of video hall be submitted in form no. 1 to the Licensing Authority along with the documents mentioned in sub-rule (2) (3) or (4) as the case may be.	(1) The application for license for giving exhibition by means of video hall be submitted in form no. 1 to the Licensing Authority along with the documents mentioned in sub-rule (2) (3) or (4) as the case may be. (1-a) The applicant may submit his application on departmental web portal in prescribed format form 1 along with the necessary documents mentioned in sub rule (2) (3) or (4) as the case may be and payment of fee.
(2) In the case of permanent building other than a hotel the application shall be accompanied with the following documents-	(2) In the case of permanent building other than a hotel the application shall be accompanied with the following documents-
(i) A site plan in duplicate showing location of the premises in relation to adjacent premises within a radius of 100 metres and public thorough fare on which the building abuts including the place marked for parking of vehicles drawn on the scale on inch is equal to 10 metre ;	(i) A site plan in duplicate, approved by the Competent Authority or the person authorized by him under the relevant provisions of the Building Construction and Development Byelaws of the State and these rules, showing location of the premises in relation to adjacent premises within a radius of 100 metres and public thorough fare on which the building abuts including the place marked for parking of vehicles drawn on the scale one inch is equal to 10 metre;
(ii) A building plan in duplicate including longitudinal and latitudinal sections and seating plan containing therein the arrangements of seats in each class including gangway and places left open drawn on the scale one inch is equal to five metres ;	(ii) The building plan in duplicate, approved by the competent Authority or the person authorized by him, with the sanctioned letter, under the relevant provisions of the building construction and Development Byelaws of the State and these rules, including longitudinal and latitudinal sections and seating plan containing therein the arrangements of seats in each class including gangway and places left open drawn on the scale one inch is equal to five metres ;
(iii) Documents showing the ownership or tenancy of the place, building and apparatus or the vehicle.	(iii) Documents showing the ownership or tenancy of the place, building and apparatus or the vehicle.

Column-I
(Existing Sub-rule)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(iv) Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and byelaws;

(v) The details of arrangement for sanitation conforming to the requirements of the rule 7 and the Building and Development Byelaws of the State ;

(vi) Certificate from Chief Fire Officer or Officer Incharge (Fire) of concerned area, or the person authorized by him, having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances are provided and tha precautions have been taken against fire conform to the requirements of the existing rules and bylaws.

6. Amendment of Rule-12—In the said rules for rule 12 for the existing sub-rule (1) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column-I
(Existing Sub-rule)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(1) The Licensing Authority may, or receipt of an application under Rule 10 and after having satisfied that all the requirements have been fulfilled grant licence to the applicant in Form II or Form III of Form III-A as the case may be, appended' to these rules."

(1) The Licensing Authority may, or receipt of an application under Rule 10 and after having satisfied that all the requirements have been fulfilled grant licence to the applicant, within 30 days, from the date of the receipt of the application in Form II or Form III of Form III-A as the case may be."

(1-A) (a) On submission of application in all respect the licensing authority shall grant or refuse to grant license within 30 days after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government, on expiry of the said period the license shall be deemed to be granted.

(b) The applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees. If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, license shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through e-mail to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal.

Provided that if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against the applicant.

7. Amendment of Rule-15—In the said rules for rule 15 for the existing sub-rule (1) and (2) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I (Existing Sub-rule)	Column-II (Sub-rule as hereby substituted)
(1) Except in the case of travelling video cinema a licence for exhibition by means of video may be granted or renewed by the licensing authority for a period not exceeding three years at a time.	(1) Except in the case of travelling video cinema a licence for exhibition by means of video may be granted or renewed by the licensing authority for a period not exceeding three years at a time.

8. Amendment of Rule-17—In the said rules for rule 15 for the existing sub-rule (1) and (2) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I (Existing Sub-rule)	Column-II (Sub-rule as hereby substituted)
17. Fees : (1) The fee for grant of renewal of licence shall be as follows :	17. Fees : (1) The fee for grant of renewal of licence shall be as follows :

Number of seats	Fee	Number of seats	Fee
(i) Video cinema including exhibition by means of video in case of a cable television network.	Rs. 2400 for every financial year of part there of per video cassette player.	(i) Video cinema including exhibition by means of video in case of a cable television network.	Rs. 2400 for every financial year of part there of per video cassette player.
(ii) Hotel	Rs. 1200 per financial year of part there of per video cassette player.	(ii) Hotel	Rs. 2500 per financial year of part there of per video cassette player.
(iii) Public Service Vehicle	Rs. 1200 per financial year or part thereof.	(iii) Public Service Vehicle	Rs. 2500 per financial year or part thereof.
(iv) Traveling Video Cinema in a local area.		(iv) Traveling Video Cinema in a local area.	
(a) for the grant of new licence and its renewal upto initial period or one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 100 per month or part thereof.	(a) for the grant of new licence and its renewal upto initial period or one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.
(b) for the grant or new renewal of licence in continuation after expiry of one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 100 per month or part thereof.	(b) for the grant or new renewal of licence in continuation after expiry of one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.

Column-I
(Existing Sub-rule)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(2) In case there is any such arrangement where exhibition is given by means of video on a number of different television screens, video screens or video scopes, an additional licence fees of Rupees 100 per year or part thereof, shall be levied for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called.

(2) In case there is any such arrangement where exhibition is given by means of video on a number of different television screens, video screens or video scopes, an additional licence fees of Rupees 100 per year or part thereof, shall be levied for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called.

9. Amendment of Rule-18—In the said rules for rule 18 for the existing sub-rule (1) and (2) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I
(Existing Sub-rule)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

Video Library/Television Signal Receiver Agency

Video Library/.....(omitted.)

Grant of licence :

Grant of licence :

(1) Every application for grant of licence or for renewal thereof for keeping a video library or television signal receiver agency shall be made to the Licensing Authority with full details of name of applicant, full address (permanent and local) and the place to be licenced along with documents mentioned in Clause (a) or (b) below as the case may be.

(1) Every application for grant of licence or for renewal thereof for keeping a video library shall be made to the Licensing Authority with full details of name of applicant, full address (permanent and local) and the place to be licenced along with documents mentioned of address and identity proof and shall be accompanied with the following documents.:

(i) Documents showing the ownership or tenancy of the place or building or shop of the said agency.

(ii) Documents regarding photo identity and address proff e.g. Election photo identity Card, driving licence, Ration Card, Adhar card or any photo identity card issued by recognised institution.

Provided that any change in address shall be communicated immediately to licensing Authority.

(a) in the case of television signal receiver agency the application shall be accompanied with the following documents-

(i) a site plan in duplicate showing the location of premises in relation to adjacent premises and public thoroughfare on which the premises abuts.

(ii) documents showing the ownership or tenancy of the place or building or shop of the said agency.

(iii) documents regarding photo identity and address proof e.g. Election Photo identity Card, driving licence, Ration Card or any Photo identity card issued by recognised institution.

Column-I
(Existing Sub-rule)

(iv) Documents regarding Bank guarantee or Rs. 25,000.00

(v) the authority letter/consent from the channel owner or his as signee.

(b) in the case of video library the application shall be accompanied shall be accompanied with documents referred with documents referred to in sub-clause (i), and (ii) of Clauses (a) and proof of residential address e.g. Election Card, Ration Card etc.

Provided that any change in address shall be communicated immediately to licensing Authority.

(2) The Licensing Authority may grant or renew the license for a period not exceeding three financial years at a time for keeping a video library/television signal receiver agency in a local area having population mentioned in Column I below, on payment of fee for one financial year or part at the rates specified in Column II or III, as the case may be, below-

Column I (Local area)	Column II (licence fee for video library)	Column III (licence fee for television signal receiver agency)	Column I (Local area)	Column II (licence fee for video library)omitted
(a) Municipal corporation, Noida and Greater Noida	Five thousand rupees	Ten thousand rupees	(a) Municipal corporation, Noida and Greater Noida	Five thousand rupeesomitted
(b) Municipal board	Three thousand rupees.	Six thousand five hundred rupees	(b) Municipal board	Three thousand rupees.omitted
(c) Town Area/others places	One thousand five hundred rupees.	Three thousand rupees.	(c) Town Area/others places	One thousand five hundred rupees.omitted

(b) for the existing sub-rule (6) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I
(Existing Sub-rule)

(6) A register, as prescribed by the commissioner, with full up-to-date record or all the video cassettes of moving pictures or television signal receiver, as the case may be shall be maintained by the licensee.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(2) The Licensing Authority may grant or renew the license for a period not exceeding five financial years at a time for keeping a video library/(.....omitted.....) in a local area having population mentioned in Column I below, on payment of fee for one financial year or part at the rates specified in Column II or III, as the case may be, below-

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(6) A register, as prescribed by the commissioner, with full up-to-date record or all the video cassettes of moving pictures or television signal receiver, as the case may be shall be maintained by the licensee.

(c) for the existing sub-rule (8) and (9) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column-I
(Existing Sub-rule)

(8) (a) The licensee of television signal receiver agency shall not sell, store, let on hire, distribute, exchange or put into circulation in any manner whatsoever any television signal receiver to any person other than those having license for exhibition under these rules or for home viewing.

(b) A receipt shall be issued in the form as prescribed by the commissioner for every such transaction or any charge for continuous transmission of the channel and a suitable endorsement shall be made on such receipt as well as on the register maintained under sub-rule (6).

(9) The licensee under this chapter shall furnish such information and monthly returns as may be required by the Commissioner.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(8) The licensee under this chapter shall furnish such information and monthly returns as may be required by the Licensing Authority.

10. Amendment of Rule-21—In the said rules for rule 21 set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I
(Existing Sub-rule)

21. Provision for fire extinguisher etc.--The portable fire extinguisher of BCF 2 kg. capacity and one of soda Acid of 9 liters capacity one buckets (9 liters) filled with sand four buckets (9 liters) filled with water shall be provided in the premises of Video Cinema and a traveling video cinema.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

21. Provision for fire extinguisher etc.--For Video Cinema, the certificate from the Chief Fire Officer or Officer Incharge (Fire) of concerned area or the person authorized by him, having jurisdiction, that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire, conform to the requirements of the existing rules of Building Construction and Development Bylaws under the National building code (NBC) guidelines.

For temporary building, the certificate from the Chief Fire Officer or Officer Incharge (Fire) of concerned area or the person authorized by him, having jurisdiction, that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire, conform to the fire-fighting requirements of the existing rules and guidelines.

11. Amendment of Rule-23—In the said rules for rule 23 set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I
(Existing Sub-rule)

(3) The State Government may grant a temporary stay subject to such conditions as it may deem fit, and send to a copy of its order to the Entertainment Tax Commissioner as well as to the District Magistrate concerned.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

(3) The State Government may grant a temporary stay subject to such conditions as it may deem fit, and send to a copy of its order to the Entertainment Tax Commissioner as well as to the District Magistrate concerned.

12. Amendment of Rule-24-In the said rules for rule 24 set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I

(Existing Sub-rule)

24. Inspection--The following Officers may at any time enter into and inspect the premises of a video cinema, Video Library, hotel or the Vehicle licensed under these rules for ensuring compliance of the rules :

(i) Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, District Entertainment Tax Officer and Inspector of the entertainment and Betting Tax department.

(ii) Deputy Director (Entertainment Tax), Revenue and Intelligence Directorate, Uttar Pradesh.

(iii) Not exceeding two police officers not below the rank of Sub Inspector deputed by the licensing authority in consultation with the Superintendent of police.

(iv) Not exceeding two Magistrate nominated by the licensing authority.

(v) Electrical Inspector to the Government, and

(vi) Senior most Professional Officer of the U.P. fire service of the district.

Column-II

(Sub-rule as hereby substituted)

24. Inspection--The following Officers may at any time enter into and inspect the premises of a video cinema, Video Library, hotel or the Vehicle licensed under these rules for ensuring compliance of the rules :

(i) The Licensing Authority or the person authorized by him.

(ii) Not exceeding two police officers not below the rank of Sub Inspector deputed by the licensing authority in consultation with the Superintendent of police.

(iii) Not exceeding two Magistrate nominated by the licensing authority.

(iv) Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him, and

(v) Senior most Professional Officer of the U.P. fire service of the district.

13. Amendment of Form I-In the said rules for Form-I, set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I

(Existing Sub-rule)

FORM I

[See Rule 10]

Form ofApplication for.....

Licence for exhibition by means of video

i. Name of the Applicant.....

ii. Age and Sex.....

.....

iv. Address-----

i. Permanent (duly verified).....

ii. Present Address.....

.....

Column-II

(Sub-rule as hereby substituted)

FORM I

[See Rule 10]

Form ofApplication for.....

Licence for exhibition by means of video

i. Name of the Applicant.....

ii. Age and Sex.....

.....

iv. Address-----

i. Permanent (duly verified).....

ii. Present Address.....

iii. Contact No.

iv. Email ID

Column-I
(Existing Sub-rule)

2. Name and description of place.....

Exact location with house or plot number, if any, where exhibition by means of video is proposed and the population of that local area where it is situated and in case of public service vehicle registration number with route of operation, if any.

3. (i) Site Plan in duplicate under Rule 10 (2) (i).
 (ii) Building plan in duplicate under Rule 10 (2) (ii).
 (iii) Photostat copy of the license obtained for commercial use of video or television under Indian Telegraph Act, 1985.
 (iv) Documents showing the ownership or tenancy of the place, building, apparatus and vehicles under Rule 10 (2) (iv).
 (v) In the case of partnership firms, name and addresses of the partners.

4. In the case of Video Cinema and travelling video cinema-

- i. Number of shows proposed to be held daily with show timings of each show.
 ii. Width of---
 (a) Television screen
 (b) Video screen
 iii. Total seating capacity with class-wise seating arrangement of each class.
 iv. Rates of admission inclusive of tax for each ticket.
 v. Name and address of manager, if any,
 vi. Proposed date of start of exhibition by means of video.

5. In the case of hotel-

- (i) Number of television screens/video screen/video scope.
 (ii) Number of video cassette players.
 (iii) Proposed number of rooms with facility of exhibition by means of video.
 (iv) Proposed date of start of exhibition by means of video.
 (v) Name and address of Manager.

6. Number and date of treasury Challan by which the amount of prescribed license fee renewal fee has been deposited.

Date :

Signature of the applicant with address duly verified by a Gazetted Officer

२ स्प० विज्ञ-३

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

2. Name and description of place.....

Exact location with house or plot number, if any, where exhibition by means of video is proposed and the population of that local area where it is situated and in case of public service vehicle registration number with route of operation, if any.

3. (i) Site Plan in duplicate under Rule 10 (2) (i).
 (ii) Building plan in duplicate under Rule 10 (2) (ii).
 (iii) Photostat copy of the license obtained for commercial use of video or television under Indian Telegraph Act, 1985.
 (iv) Documents showing the ownership or tenancy of the place, building, apparatus and vehicles under Rule 10 (2) (iv).
 (v) In the case of partnership firms, name and addresses of the partners.

4. In the case of Video Cinema and travelling video cinema-

- i. Number of shows proposed to be held daily with show timings of each show.
 ii. Width of---
 (a) Television screen
 (b) Video screen
 iii. Total seating capacity with class-wise seating arrangement of each class.
 iv. Rates of admission inclusive of tax for each ticket.
 v. Name and address of manager, if any,
 vi. Proposed date of start of exhibition by means of video.

5. In the case of hotel-

- (i) Number of television screens/video screen/video scope.
 (ii) Number of video cassette players.
 (iii) Proposed number of rooms with facility of exhibition by means of video.
 (iv) Proposed date of start of exhibition by means of video.
 (v) Name and address of Manager.

6. Number and date of treasury Challan by which the amount of prescribed license fee renewal fee has been deposited.

Date :

Signature of the applicant with address duly verified by a Gazetted Officer

14. Amendment of Form II—In the said rules for Form-II, set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column-I
(Existing Sub-rule)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

FORM II

[See Rule 12]

Form of License under the U.P. Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988 for Video Cinemas and Travelling Video Cinemas No.....of(a).....(Name of Video) Cinema/travelling Cinema) Situated at (b)(place)within the District ofis licensed under Section 3 of the U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act No. 3 of 1956), as amended, and Rule 11 of U.P. Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988, as a place where exhibition by means of Video may be given from to.....both day inclusive.

The license has been granted to (c)

.....(Name) and shall be terminated forthwith if the said (c)ceases to own to hold on lease or to manage the said.

(a) The license is granted subject to the provisions of U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), and the rules framed thereunder and to the following further conditions---

- (1) The the said (c)shall not exhibit of permit to be exhibited in the said (a)any film other that a film which has been certified as suitable for public exhibition by an authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952, (Act no. 37 of 1952) and which when, exhibited shows the prescribed mark or that authority, and has not been altered or tempered within any way since such mark was affixed thereto.
- (2) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a)any person who is not an adult, any film which has been certified by an authority constituted under section 3 of Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) as suitable for public exhibition restricted to adults.

FORM II

[See Rule 12]

Form of License under the U.P. Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988 for Video Cinemas and Travelling Video Cinemas No.....of(a).....(Name of Video) Cinema/travelling Cinema) Situated at (b)(place)within the District ofis licensed under Section 3 of the U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act No. 3 of 1956), as amended, and Rule 11 of U.P. Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988, as a place where exhibition by means of Video may be given from to.....both day inclusive.

The license has been granted to (c)

.....(Name) and shall be terminated forthwith if the said (c)ceases to own to hold on lease or to manage the said.

(a) The license is granted subject to the provisions of U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), and the rules framed thereunder and to the following further conditions---

- (1) The the said (c)shall not exhibit of permit to be exhibited in the said (a)any film other that a film which has been certified as suitable for public exhibition by an authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952, (Act no. 37 of 1952) and which when, exhibited shows the prescribed mark or that authority, and has not been altered or tempered within any way since such mark was affixed thereto.
- (2) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a)any person who is not an adult, any film which has been certified by an authority constituted under section 3 of Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) as suitable for public exhibition restricted to adults.

Column-I
(Existing Sub-rule)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

- (3) That the said (c)shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said (a)(i) any advertisement regarding sexual diseases and medicine to correct sexual disorders of purporting to assist the childless in begetting children, etc and (ii) any indecent, obscene, immoral or suggestive advertisement pictures, or posters on the premises of the said (a)
- (4) That the said (c)shall send previous information of every video film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis and details of Number and date of certificate issued by the authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) and name of the supplier and distributor of the video film at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee, two days before exhibition is proposed :
Provided that if the said (c)has submitted to the District Magistrate in accordance with the provisions of this condition a programme in respect of a number of films within a specified period of one month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate of any change he intends to make within that specified period in the proposed dates for exhibition of films included in the programme originally submitted.]
- (5) That the total number of seats in the auditorium and the seats for each class shall not exceed the number specified in the Schedule hereto appended nor shall the number and description of the appliances exhaust fans, electric fans or sanitary requirements be less than those therein specified.
- (6) That the said (c)shall not display or cause to be displayed any photograph, pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from any film under the orders of the Board of film Certification or the Central Government.

- (3) That the said (c)shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said (a)(i) any advertisement regarding sexual diseases and medicine to correct sexual disorders of purporting to assist the childless in begetting children, etc and (ii) any indecent, obscene, immoral or suggestive advertisement pictures, or posters on the premises of the said (a)
- (4) That the said (c)shall send previous information of every video film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis and details of Number and date of certificate issued by the authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) and name of the supplier and distributor of the video film at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee, two days before exhibition is proposed :
Provided that if the said (c)has submitted to the District Magistrate in accordance with the provisions of this condition a programme in respect of a number of films within a specified period of one month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate of any change he intends to make within that specified period in the proposed dates for exhibition of films included in the programme originally submitted.]
- (5) That the total number of seats in the auditorium and the seats for each class shall not exceed the number specified in the Schedule hereto appended nor shall the number and description of fire appliances exhaust fans, electric fans or sanitary requirements be less than those therein specified.
- (6) That the said (c)shall not display or cause to be displayed any photograph, pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from any film under the orders of the Board of film Certification or the Central Government.

Column-I

(Existing Sub-rule)

- (7) That there will be no restriction on the number of daily shows between 9.00 A.M. and 12.30 A.M. and that no show shall be held before 9.00 A.M. and after 12.30 A.M. without the specific permission of the licensing authority which will be given only in very exceptional circumstances.
- (8) That no person below 18 years of age shall be allowed admission in shows held before 3 P.M. on working days.
Note--Children up to age of 5 (five) years accompanied by their parents or guardians shall be exempted from this restriction. This restriction shall also not apply on holidays. Holidays for this purpose shall include Sundays, Gazetted holidays and holidays and vacation prescribed for educational institutions.
- (9) That juveniles below 14 (fourteen) years or age shall not be allowed admission in the late night show starting from 9.00 P.M. and onwards unless they are accompanied by their parents or guardians.
- (10) That the said (c)or any other person responsible for the management of the show shall not contravene any of the provisions relating to U.P. Entertainments and Betting Tax Act, 1979** and rules made thereunder.
- (11) Omitted
- (12) That the sound and light arrangement shall be such as to ensure good visibility and audibility to at all times during the exhibitions and the seats shall always be kept in a proper state of repairs.
- (13) That all walls or floors of permanent video cinema shall be kept clean at all times : washed with disinfectant at least once every day and all walls up to a height of 90 cms from the floor shall be cleaned with a strong disinfectant at least once a month.

Column-II

(Sub-rule as hereby substituted)

- (7) That there will be no restriction on the number of daily shows between 9.00 A.M. and 12.30 A.M. and that no show shall be held before 9.00 A.M. and after 12.30 A.M. without the specific permission of the licensing authority which will be given only in very exceptional circumstances.
- (8) That no person below 18 years of age shall be allowed admission in shows held before 3 P.M. on working days.
Note--Children up to age of 5 (five) years accompanied by their parents or guardians shall be exempted from this restriction. This restriction shall also not apply on holidays. Holidays for this purpose shall include Sundays, Gazetted holidays and holidays and vacation prescribed for educational institutions.
- (9) That juveniles below 14 (fourteen) years or age shall not be allowed admission in the late night show starting from 9.00 P.M. and onwards unless they are accompanied by their parents or guardians.
- (10) That the sound and light arrangement shall be such as to ensure good visibility and audibility to at all times during the exhibitions and the seats shall always be kept in a proper state of repairs.
- (11) That all walls or floors of permanent video cinema shall be kept clean at all times ; washed with disinfectant at least once every day and all walls up to a height of 90 cms from the floor shall be cleaned with a strong disinfectant at least once a month.
- (12) At least two spittoons for a seating capacity of 50 seats and one additional spittoon for every 20 seats shall be provided at suitable places. The spittoons shall contain a strong disinfectant and shall be emptied and cleaned from time to time Notice for using such spittoons shall be displayed prominently.

Column-I
(Existing Sub-rule)

- (14) At least two spittoons for a seating capacity of 50 seats and one additional spittoon for every 20 seats shall be provided at suitable places. The spittoons shall contains a strong disinfectant and shall be emptied and cleaned from time to time Notice for using such spittoons shall be displayed prominently.
- (15) Omitted.

SCHEDULE

- 1. Total sanctioned capacity (Class wise break-up of seats, if any)
- 2. Size if T.V. Screen/Video Screen-Video scope Screen.
- 3. Number of ceiling fans or bracket fans with size and description.
- 4. Number of exhaust fans with size and description.
- 5. Number of urinals and latrines for males and females.
- 6. Details for fire-fighting arrangements.
 - (a) C. T. C. Fire extinguisher
 - (b) Soda Acid Fire extinguisher
 - (c) Sand buckets
 - (d) Water buckets

Licensing Authority

15. Amendment of Form III-A—In the said rules for Form-III-A, set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column-I
(Existing Sub-rule)

FORM III-A

[See Rule 12]

Form of License under the U.P. (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988, as amended, in the case or a cable Television.

Network No.....of.....(year)

(a)(Name of the cable Operator)situated at (b) (place) within the District ofis licensed under Section 3 of U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), as amended, and Rule 12 of U.P. Cinemas Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988 (as amended) as a place where exhibition by means of video may be given from.....to.....both day inclusive. The license has been granted to (c)(Name) and shall be terminated forthwith if the (c)ceases to own, to hold on lease or to manage the said (a)The License is granted subject to the provision of U.P. Cinema (Regulation) Act, 1955 (as amended) (U.P. Act no. 3 of 1956 and the rules framed thereunder and to following further conditions)

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

SCHEDULE

- 1. Total sanctioned capacity (Class wise break-up of seats, if any)
- 2. Size if T.V. Screen/Video Screen-Video scope Screen.
- 3. Number of ceiling fans or bracket fans with size and description.
- 4. Number of exhaust fans with size and description.
- 5. Number of urinals and latrines for males and females.
- 6. Details for fire-fighting arrangements.
 - (a) C. T. C. Fire extinguisher
 - (b) Soda Acid Fire extinguisher
 - (c) Sand buckets
 - (d) Water buckets

Licensing Authority

Column-II

(Sub-rule as hereby substituted)

FORM III-A

[See Rule 12]

Form of License under the U.P. (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988, as amended, in the case or a cable Television.

Network No.....of.....(year)

(a)(Name of the cable Operator)situated at (b) (place) within the District ofis licensed under Section 3 of U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), as amended, and Rule 12 of U.P. Cinemas Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988 (as amended) as a place where exhibition by means of video may be given from to.....both day inclusive. The license has been granted to (c)(Name) and shall be terminated forthwith if the (c)ceases to own, to hold on lease or to manage the said (a)The License is granted subject to the provision of U.P. Cinema (Regulation) Act, 1955 (as amended) (U.P. Act no. 3 of 1956 and the rules framed thereunder and to following further conditions)

Column-I
(Existing Sub-rule)

- (1) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a) any film other than film which has been certified as suitable for public exhibition by an authority constituted under Section 3 of the Cinemograph Act, 1952, (Act no. 37 of 1952) and which when exhibited shows the prescribed mark of the authority and has not been altered or tempered with in any way since such mark was affixed thereto.
- (2) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a) any film knowingly in infringing the copyright of a film or abetting the the same.
- (3) That the said (c) shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said (a)(i) any advertisement regarding sexual diseases and medicine to correct sexual disorders of purporting to assist the childless in begetting children, etc and (ii) any indecent obscene, immoral or suggestive advertisement, picture, or posters on the premises of the said (a)
- (4) That the said (c) shall send previous information of every video film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis and details of Number and date of certificate issued by the authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) and name of the supplier or distributor of the video film at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee two days before exhibition is proposed.
Provided that if the said (c)has submitted in the District Magistrate in accordance with the provisions of this condition a program in respect of a number of films within a specified period of the month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate or any change he intends to make within that specified period in the proposed dates for exhibition of films included in the program originally submitted.
- (5) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited any indecent film or part of the film either on full screen or in the shape of strip or still picture or in any other way.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

- (1) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a) any film other than film which has been certified as suitable for public exhibition by an authority constituted under Section 3 of the Cinemograph Act, 1952, (Act no. 37 of 1952) and which when exhibited shows the prescribed mark of the authority and has not been altered or tempered with in any way since such mark was affixed thereto.
- (2) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a) any film knowingly in infringing the copyright of a film or abetting the the same.
- (3) That the said (c) shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said (a)(i) any advertisement regarding sexual diseases and medicine to correct sexual disorders of purporting to assist the childless in begetting children, etc and (ii) any indecent obscene, immoral or suggestive advertisement, picture, or posters on the premises of the said (a)
- (4) That the said (c) shall send previous information of every video film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis and details of Number and date of certificate issued by the authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) and name of the supplier or distributor of the video film at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee two days before exhibition is proposed.
Provided that if the said (c)has submitted in the District Magistrate in accordance with the provisions of this condition a program in respect of a number of films within a specified period of the month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate or any change he intends to make within that specified period in the proposed dates for exhibition of films included in the program originally submitted.
- (5) That the said (c) shall not exhibit or permit to be exhibited any indecent film or part of the film either on full screen or in the shape of strip or still picture or in any other way.

365

Column-I
(Existing Sub-rule)

- (6) That the said (c) shall not display cause to be displayed any photograph, pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from any film under the orders of the Board of Film Certification or the Central Government.
- (7) That the said (c) shall not exhibit the local channel on the band of any other Aerial channel or on prime band.
- (8) That the said (c)or any other person responsible for the management of the show shall not contravene any of the provisions relating to [U.P. Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979)]** and rules made thereunder. The indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (Act no. 60 of 1986) and Rules made thereunder and U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), as amended, and rules made thereunder.
- (9) That the sound and light arrangement shall be such as to ensure good visibility and audibility to all T.V. screens at all times during the exhibitions.

Dated20
Licensing Authority,

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

- (6) That the said (c) shall not display cause to be displayed any photograph, pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from any film under the orders of the Board of Film Certification or the Central Government.
- (7) That the said (c) shall not exhibit the local channel on the band of any other Aerial channel or on prime band.
- (8) That the said (c)or any other person responsible for the management of the show shall not contravene any of the provisions relating to [.....omitted..... andomitted.....]. The indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (Act no. 60 of 1986) and Rules made thereunder and U.P. Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), as amended, and rules made thereunder.
- (9) That the sound and light arrangement shall be such as to ensure good visibility and audibility to all T.V. screens at all times during the exhibitions.

Dated20
Licensing Authority,

16. Amendment of Form IV-A—In the said rules for Form-IV, set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

Column-I
(Existing Sub-rule)

FORM IV [See Rule 18]

License for keeping a video Library/Television Signal Receiver Agency

- 1. Name and address of licensee.
- 2. If the Licensee is not the owner of the place or building, the name and address of the owner thereof.
- 3. Location or the place or building and adjacent building or place surrounding it.
- 4. Working business hours of the Library.
- 5. Period for which the license is granted condition of License.

This licensee is granted subject to the provisions of the U.P. Cinema (Regulation) Act, 1955, and the rules frames there under and is also subject to the following conditions-

- (1) Any prescribed inspecting authority shall have free access to the said premises during business hours in order to see whether the conditions of the license are being compiled with.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

FORM IV [See Rule 18]

License for keeping a video Library [.....omitted]

- 1. Name and address of licensee.
- 2. If the Licensee is not the owner of the place or building, the name and address of the owner thereof.
- 3. Location or the place or building and adjacent building or place surrounding it.
- 4. Working business hours of the Library.
- 5. Period for which the license is granted condition of License.

This licensee is granted subject to the provisions of the U.P. Cinema (Regulation) Act, 1955, and the rules frames there under and is also subject to the following conditions-

- (1) Any prescribed inspecting authority shall have free access to the said premises during business hours in order to see whether the conditions of the license are being compiled with.

Column-I
(Existing Sub-rule)

- (2) The licensee shall in respect of each film in his possession, produce when demanded by any officer prescribed under rules, a letter of consent from the person who is the first owner of the copyright under Section 17 of the Copyright Act, 1957 (Act XIV of 1957) and in case such copyright has been assigned under Section 18 of the said Act from the assignee of such copyright.
- (3) The licensee shall not, hire let on hire, distribute, exchange and put into circulation any film other than a film which has been certified as suitable for public exhibition by the authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952, as amended, and which when exhibited displays the prescribed mark of that authority and the same has not been altered or tampered within any way such mark was affixed thereto.
- (4) That the licensee shall regularly maintain the prescribed register.
- (5) The licensee shall furnish the information and submit monthly returns as required by the Licensing Authority within the time prescribed by him.
- (6) That the licensee in respect of television signal receiver agency of all channels, shall also keep the original consent letter or authority obtained from the owner of the said channel or his assignee in his agency and shall produce such consent or authority letter immediately on demand by any inspecting authority. The licensee shall not keep, sell or hire or let on hire or distribute or exchange or put into circulation any television signal receiver without such consent or authority.
- (7) The licensee of television signal receiver agency shall not contravene any provision relating to the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 and Rules made thereunder and the Entertainment and Betting Tax Act, 1979 and Rules made thereunder.
- (8) The licensee of television signal receiver agency shall not transmit or permit to be transmitted in any manner whatsoever, locally generate programs on local channel without obtaining necessary license for this purpose in FORM III-A

Dated20

Licensing Authority.

Column-II
(Sub-rule as hereby substituted)

- (2) The licensee shall in respect of each film in his possession, produce when demanded by any officer prescribed under rules, a letter of consent from the person who is the first owner of the copyright under Section 17 of the Copyright Act, 1957 (Act XIV of 1957) and in case such copyright has been assigned under Section 18 of the said Act from the assignee of such copyright.
- (3) The licensee shall not, hire let on hire, distribute, exchange and put into circulation any film other than a film which has been certified as suitable for public exhibition by the authority constituted under Section 3 of the Cinematograph Act, 1952, as amended, and which when exhibited displays the prescribed mark of that authority and the same has not been altered or tampered within any way such mark was affixed thereto.
- (4) The the licensee shall regularly maintain the prescribed register.
- (5) The licensee shall furnish the information and submit monthly returns as required by the Licensing Authority within the time prescribed by him.

Dated20

Licensing Authority.

By order

ALOK SINHA,

Add. Chief Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र दिनांक 28-04-2018 के भाग 1-क में प्रकाशित विज्ञप्ति।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू०पी०-2 सा० वित्त कर एवं निबन्धन-01-05-2018-250 प्रतियां (मोनो/डी०टी०पी०/आफसेट)।